

(2)

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.24 (210) आ.कृ./बीज पंजीकरण/2015-16/7084-7198 दिनांक: 6/7/15

पंजीकरण प्रमाण पत्र

राजस्थान में गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता तथा विक्रय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 24 (45) नि.कृ./ बीज/ 2008-09/ 4264-4415 दिनांक 10.07.2008 के क्रम में ए-वन एग्री सीड्स प्रा. लि., गांव बरखेड़ा, पोस्ट कालपुरिया जिला बून्दी-323024 (राज0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व विवरण अनुसार फर्म द्वारा राज्य में विक्रय किये जाने वाली फसलों एवं उनकी किस्मों का पंजीकरण क्रमांक 210 दिनांक 06.07. 2015 एतद्वारा किया जाता है। इसकी वैधता तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 05.07.2018 तक होगी।

क्र.सं.	नाम फसल	अधिसूचित किस्मों का विवरण	गैर-अधिसूचित किस्मों का विवरण
1	PADDY	PB-1121, PS-5	-----
2	WHEAT	-----	AFSARA, AMRIT
3	MUSTARD	-----	BLACK PEARL, SUPER BOLD
4	MAIZE	-----	MOTI (WHITE), LALI (YELLOW)
5	SESAME	-----	RATNA
6	PEA	-----	ARP-10
7	MOONG	-----	GREEN GOLD
8	OKRA	-----	JYOTI

बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम 1968 व बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के तहत विद्यमान प्रावधानों एवं उक्त के तहत समय समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। उपरोक्त अंकित फसल व किस्मों के अतिरिक्त अन्य फसलों का कारोबार करने से पूर्व पंजीकरण प्रमाण पत्र में फसल व किस्मों का नाम जुड़वाना होगा।

(डा० रामगोपाल शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

क्रमांक: एफ.24 (210) आ.कृ./बीज पंजीकरण/2015-16/7084-7198 दिनांक: 6/7/15
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
2. परियोजना निदेशक कृषि आईजीएनपी, बीकानेर/सीएडी, कोटा
3. समस्त उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जिला परिषद,
4. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद,
5. ए-वन एग्री सीड्स प्रा. लि., गांव बरखेड़ा, पोस्ट कालपुरिया जिला बून्दी-323024 (राज0)
6. रक्षित पत्रावली

(डा० रामगोपाल शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

(3)

(A) दिनांक 09.01.2017

फर्म की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 210 दिनांक 06.07.2015 में निम्न किस्मों का नाम जोड़ा जाता है :

क. सं.	नाम फसल	अधिसूचित किस्मों का विवरण	गैर-अधिसूचित किस्मों का विवरण
1	WHEAT	RAJ-4037, LOK-1, GW-273, SUJATA, RAJ-3765, RAJ-4120, WH-147, C-306	-----
2	PADDY	PB-1, PB-1509	-----


(डा० आर० जी० शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)
राजस्थान, जयपुर

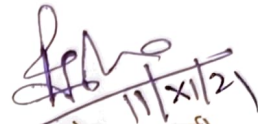
(B) दिनांक 19.07.2018

फर्म की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 210 दिनांक 06.07.2015, जिसकी वैधता 05.07.2018 तक है, की वैधता अवधि आगामी तीन वर्ष अर्थात् 05.07.2021 तक बढ़ाई जाती है एवं फर्म का नाम ए-वन सीड्स प्रा. लि., गांव बरखेड़ा, पोस्ट कालपुरिया, जिला बून्दी-323024 राज० से परिवर्तित कर ए-वन सीड्स, ग्राम बरखेड़ा, पोस्ट कालपुरिया, जिला बून्दी-323024 राज० किया जाता है।


(डा० रामगोपाल शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)
राजस्थान, जयपुर

(C) दिनांक 11.11.2021

फर्म की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 210 दिनांक 06.07.2015, जिसकी वैधता 05.07.2021 तक है, की वैधता अवधि आगामी तीन वर्ष अर्थात् 05.07.2024 तक बढ़ाई जाती है।



(डा० रामगोपाल शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)
राजस्थान, जयपुर

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 24 (210) आकृ/बीज पंजीकरण/2024-25/15852

दिनांक : 04/10/2024

मैसर्स ए-वन सीड्स प्रा. लि.,
गांव बरखेडा, पोस्ट कालपुरिया,
जिला-बूंदी 323024

विषय : बीज पंजीकरण प्रमाण पत्र में नवीनीकरण तथा अधिसूचित किस्मों का नाम जोड़ने बाबत।

प्रसंग : प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.07.2024 तथा प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 30.09.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप आपकी फर्म की फसलवार किस्मों के पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 210 दिनांक 06.07.2015 की वैधता अवधि बढ़ाये जाने तथा अधिसूचित किस्मों का नाम जोड़ने पश्चात् मूल प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 809 की मूल प्रति)

(लक्ष्मण राम)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Laxman Ram Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.10.01 17:52:39 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 24 (210) आकृ/बीज पंजीकरण/2015-16/7084-7198

दिनांक : 06.07.2015

(D) दिनांक 30.09.2024

फर्म की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 210 दिनांक 06.07.2015 , जिसकी वैधता 05.07.2024 तक है, की वैधता अवधि आगामी तीन वर्ष अर्थात् 05.07.2027 तक बढ़ाई जाती है तथा बीज पंजीकरण प्रमाण में निम्न अधिसूचित किस्मों का नाम जोड़ा जाता है:-

क.सं.	नाम फसल	अधिसूचित किस्मों का विवरण	गैर-अधिसूचित किस्मों का विवरण
1	PADDY	PB-1718,PB-1692,PB-1847,PB-1885	-----
2	WHEAT	RAJ-4238	-----

(लक्ष्मण राम)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Laxman Ram Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.10.01 12:52:39 IST
Reason: Approved